भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3386

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में ई-कोर्ट पहल का कार्यान्वयन

3386. श्री पुट्टा महेश कुमार :

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में आंध्र प्रदेश में ई-कोर्ट पहल के कार्यान्वयन के संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है ;

(ख) यदि हाँ, तो आंध्र प्रदेश के सभी न्यायालयों में चरण-वार, जिला-वार ई-कोर्ट पहल के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) आंध्र प्रदेश के सभी न्यायालयों में चरण-वार, जिला-वार, ई-कोर्ट पहल के कार्यान्वयन के संबंध में आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि कितनी है ;

(घ) आंध्र प्रदेश के सभी न्यायालयों में चरण-वार, जिला-वार, ई-कोर्ट पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले न्यायालयिक कर्मचारियों/न्यायाधीशों/वकीलों और प्रशासनिक अधिकारियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में ई-कोर्ट पहल के अनुसार अपनी प्रणालियों को पूरी तरह से एकीकृत करने वाले न्यायालयों की सूची का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : ई-न्यायालय परियोजना के अधीन, भारत सरकार, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ निकट समन्वयन में केंद्रीय परियोजना समन्वयक (सीपीसी), जो सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, जिसके अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य भी है, में ई-न्यायालय परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए उच्च न्यायालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, के साथ नियमित बैठकें करती है।

(ख) और (ग) : पिछले पांच वर्षों के दौरान, आन्ध्र प्रदेश राज्य में ई-न्यायालय परियोजना के अधीन विभिन्न पहल की गई हैं। 188 न्यायालय परिसरों को 10 से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ के साथ डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। 18.57 लाख मामलों में सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग किया गया है। राज्य में किसी भी स्थान से 24*7 सुगम पहुंच तथा अपलोड की सुविधा के लिए, उन्नत विशेषताओं के साथ ई-फाइलिंग प्रणाली संस्करण 3.0 लागू किया गया है। तामील की प्रौद्योगिक समर्थित प्रक्रिया तथा समन के जारीकरण को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय तामील और इलैक्ट्रॉनिकी प्रक्रिया की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) आरंभ की गई है। और, राज्य में 8.4 करोड़ न्यायालय अभिलेखों को डिजीटाइज किया गया है। अंतर-संचालित दंड न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) को भी कार्यान्वित किया गया है। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, ई-न्यायालय परियोजना के चरण-1 और चरण-2 के अंतर्गत उच्च न्यायालय तथा 598 जिला और अधीनस्थ न्यायालय आ गए थे। और, परियोजना के चरण-3 के अधीन 51 न्यायालय उसके अंतर्गत जा चुके हैं। चरण-वार निधियों का आबंटन, उन्हें जारी करना तथा उपयोगिता का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(रकम रुपये में)

क्र. सं.	चरण	आबंटित निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि
1.	चरण-1	4,94,53,883/-	4,94,53,883/-	4,94,53,883/-
2.	चरण-2	13,29,61,466/-	13,29,61,466/-	13,29,61,466/-
3.	चरण-3 (2023-24)	45,27,70,900/-	45,27,70,900/-	25,43,73,492/-
	चरण-3 (2024-25)	35,10,20,851/-	35,10,20,851/-	31,73,79,599/-
	चरण-3 (2025-26)	15,81,45,996/-	15,81,45,996/-	------

(घ) : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यथासूचित, प्रशिक्षण के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र. स.	चरण	खंड	कुल प्रशिक्षण	प्रतिभागियों की संख्या
1.	चरण-1	लागू नहीं होता	-	-
2.	चरण-2	शून्य	-	शून्य
3.	चरण-3	न्यायिक अधिकारी (सभी प्रवर्गों सहित)	7	1,320
		न्यायालय कर्मचारिवृन्द (उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका सहित)	8	8,268
		उच्च न्यायालय में तकनीकी कर्मचारिवृन्द और एनआईसी समन्वयक	4	149
		अधिवक्ता/अधिवक्ता लिपिक	5	3,831

(ड.) : ई-न्यायालय परियोजना के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत न्यायालयों का जिला-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.स.	**जिलों के नाम**	**कंप्यूटरीकृत न्यायालयों की कुल संख्या**
1	अनंतपुर	41
2	चित्तूर	63
3	पूर्वी गोदावरी	64
4	गुंटूर	62
5	कडपा	38
6	कृष्णा	83
7	कुरनूल	42
8	नेल्लौर	40
9	प्रकाशम	36
10	श्रीकाकुलम	30
11	विशाखापत्तनम	77
12	विजयनगरम	25
13	पश्चिम गोदावरी	48
	योग	**649**

****